अति महत्वपूर्ण/ई–मेल/Whats App Group

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
अनुभाग–16, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः– R-1254 /16–विविध/मु0कृ0दु0क0यो0/2019 दिनांकः 04 मार्च, 2020

विषयः–उत्तर प्रदेश के कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता की स्थिति में "मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना" के संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या मु0स0–11/एक–9–2020–2एफ/2018 दिनांक 28 फरवरी 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो अन्य के साथ आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त शासनादेश के द्वारा उत्तर प्रदेश के कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता की स्थिति में "मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना" के कियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– "मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना" दिनांक 14 सितम्बर, 2019 से प्रभावी मानी जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत कृषक की परिभाषा का विस्तार करते हुये खतौनी में दर्ज खातेदार/सहखातेदार के साथ–साथ उनके परिवार के ऐसे कमाऊ सदस्य जिनकी आजीविका का मुख्य स्त्रोत खातेदार/सहखातेदार के नाम दर्ज भूमि से होने वाली कृषि आय है तथा ऐसे भूमि हीन व्यक्ति जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर अथवा बटाई पर कृषि कार्य करते हैं तथा जिनकी जीविका का मुख्य साधन ऐसे पट्टे अथवा बटाई पर ली गयी भूमि पर कृषि कार्य है, को भी सम्मिलित किया गया है।

3– उक्त के अतिरिक्त शासनादेश में "मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना" के अन्तर्गत मृत्यु/दिव्यांगता की स्थिति में योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये पात्रता का आच्छादन एवं आयु, आर्थिक सहायता हेतु अनुमन्य धनराशि, आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेख, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अवधि, निस्तारण प्रकिया तथा आवेदन पत्र का प्रारूप आदि का विस्तृत विवरण दिया गया है।

4– वित्तीय वर्ष 2019–20 समाप्त होने में कुछ ही दिन अवशेष है। अल्प समयावधि के दृष्टिगत कृपया अपने जनपद के पात्र व्यक्तियों से आवेदन पत्र प्राप्त कर और उनका तत्काल परीक्षण करवाकर, निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

..2..

5– जिलाधिकारी अपने स्तर से योजना की साप्ताहिक गहन समीक्षा करें तथा प्रभावी अनुश्रवण करें। यह भी सुनिश्चित कर लें कि कोई भी पात्र लाभार्थी का आवेदन पत्र जनपद में निस्तारण हेतु शेष न रहे।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराते हुए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का प्रभावी क्रियान्वयन कड़ाई से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(मनीषा त्रिघाटिया)
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–
1–अपर मुख्य सचिव, राजस्व अनुभाग–9, उ0प्र0 शासन।
2–समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(भीष्म लाल वर्मा)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव।